पत्रांक–9/जमाबंदी डिजिटाईजेशन (Digitally Signed)–01/2021– 388 (9)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 06.02.2025

विषय :– मूल जमाबंदी पंजी के अनुसार सभी जमाबंदियों को डिजिटाईज्ड करने एवं डिजिटाईज्ड जमाबंदियों को त्रुटिरहित करने हेतु शिविर का आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1372(12), दिनांक–26.08.2021 एवं पत्रांक–431(12), दिनांक–29.04.2022

महाशय,

आप अवगत है कि वर्त्तमान समय में जमाबंदी भूमि में हुए अंतरण को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख है। सम्प्रति राज्यान्तर्गत 4.39 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। ऑनलाइन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों अथवा वैसी जमाबंदी, जिसे ऑनलाइन नहीं किया गया है, को परिमार्जित/डिजिटाइज्ड करने की कार्रवाई परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा **Digitally signed** अधिकार अभिलेख (**Record of Rights**) निर्गत करने की प्रक्रिया हेतु शिविर आयोजित कर मूल जमाबंदी के अनुसार सभी जमाबंदियों को डिजिटाईज्ड करने एवं डिजिटाईज्ड जमाबंदियों को त्रुटिरहित करने का निदेश दिया गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा परिमार्जन/परिमार्जन प्लस पोर्टल की सुविधा के पश्चात् त्रुटियों के निराकरण में काफी प्रगति हुई है, तथापि कतिपय परिवादियों/रैयतों द्वारा जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के संबंध में लगातार शिकायत पत्र समर्पित किये जा रहे है।

भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण के अंतर्गत ऑनलाईन दाखिल–खारिज, ऑनलाईन परिमार्जन प्लस, लगान संग्रहण इत्यादि की कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता में है। यह जनहित एवं राज्य के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सम्प्रति राज्य में संचालित विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को देखते हुए जमाबंदियों को परिमार्जित/डिजिटाईज्ड किया जाना अति–आवश्यक है। उक्त हेतु शिविर का आयोजन कर मूल जमाबंदी के डिजिटाईजेशन या इसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी को त्रुटिरहित करने के कार्य को एक निश्चित समयावधि में युद्ध स्तर पर सम्पन्न कराया जाना अपेक्षित है।

जमाबंदियों को त्रुटिरहित करने हेतु शिविर आयोजित करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निदेश संसूचित किये जाते है :–

1.) **शिविरों का आयोजन–** शिविर आयोजन से लेकर संपूर्ण कार्य जिला के समाहर्त्ता के निर्देशन में अनिवार्य रूप से संपन्न किया जायेगा। संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा उपयोग को देखते

हुए समाहर्त्ता के आदेशानुसार शिविर का आयोजन जिला, अनुमंडल अथवा अंचल स्तर पर किया जायेगा ताकि इसका सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये। हल्का कर्मचारी द्वारा अपने ही हल्के के अन्तर्गत आने वाले सभी मौजों में सुधार किया जायेगा एवं शिविर की संख्या तथा शिविर का अंचल, हल्का या मौजा के साथ संबद्धता का निर्णय जिला स्तर से किया जायेगा। जमाबंदी में त्रुटि सुधार का कार्य राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध उसी लैपटॉप से सम्पन्न कराया जायेगा, जो विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया गया है। आवश्यकतानुसार, इसके अतिरिक्त अन्य कम्प्यूटर, इन्टरनेट उपकरण, इत्यादि जैसे संसाधनों की उपलब्धता समाहर्त्ता के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में कालबद्ध कार्यक्रम का आदेश भी समाहर्त्ता द्वारा निर्गत किया जायेगा।

2.) **प्रक्रिया** – राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रत्येक मौजा के मूल जमाबंदी के scanned ऑनलाइन प्रति अथवा जहाँ मूल प्रति scanned नही हो सकी है, वहाँ मूल प्रति से मिलान करने के पश्चात् सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जायेगा। ध्यान रहे कि मूल जमाबंदी पंजी में, जो रैयत या भूमि संबधित विवरण अंकित है, वस्तुतः केवल वही हुबहू ऑनलाइन जमाबंदी में अंकित करना है। मूल जमाबंदी में अंकित आकड़ों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रविष्टि या सुधार अथवा मूल जमाबंदी में छेड़–छाड़ नहीं करना है। सभी मौजा के सभी जमाबंदी को डिजिटाईज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि का निराकरण मौजावार करना है। पूर्व के प्रासंगिक पत्रों में वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत वैसे मिलान किये गये प्रतियों का सहारा भी लिया जा सकता है।

3.) समाहर्त्ता द्वारा तय प्रक्रिया या कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार के लिए **E-Jamabandi Module** का प्रयोग किया जायेगा, जिसके माध्यम से परिमार्जन का सुधार पूर्व में किया जाता रहा है।

4.) यह ध्यान रखना होगा कि पूर्व में अगर परिमार्जन, परिमार्जन प्लस, दाखिल–खारिज या स्वतः संज्ञान होने पर अंचल अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जा चुका है तो मूल जमाबंदी से मिलान करते समय वैसे जमाबंदी में संशोधन नहीं करना है।

समय सीमा, समीक्षा एवं अनुश्रवण

5.) सभी उपरोक्त अपेक्षित सुधार की निश्चित समय–सीमा दिनांक–15.03.2025 है, जिसको अनिवार्य रूप से संपन्न करना है।

6.) चूँकि मूल रूप से जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए राजस्व कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया था, इसलिए जमाबंदी में सुधार का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राजस्व कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी की होगी।

7.) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा शिविरों का भौतिक निरीक्षण किया जायेगा तथा अंचल अधिकारी को कार्य संपन्न करने में उचित एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

8.) अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रत्येक दिन इसकी प्रगति की निगरानी VC के माध्यम से की जाएगी। समाहर्त्ता द्वारा भी इसकी सीधी समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी ताकि समय–सीमा के

अंतर्गत सभी कार्य संपन्न हो सके। किसी भी स्तर पर शिथिलता पाये जाने पर वैसे पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी समाहर्त्ता द्वारा की जाएगी।

9.) विभागीय स्तर पर इसका ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन विभाग के आई०टी० मैनेजर द्वारा सचिव को प्रत्येक तीन दिन में उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, KC App में प्रगति प्रतिवेदन को दर्ज करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जायेगा। राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने KC App में प्रत्येक दिन के कार्य-का प्रतिवेदन अंकित किया जायेगा।

10.) विभाग के सचिव द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा प्रगति की विस्तृत साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को VC के माध्यम से की जायेगी। दिनांक–14.02.2025 (शुक्रवार) संध्या 3.30 बजे अपराह्न को पहली समीक्षा निर्धारित है।

11.) विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा तय रोस्टर के अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण में इसकी जांच आवश्यक रूप से की जायेगी। साथ ही, विभाग में वरीय पदाधिकारी अपने–अपने आवंटित जिलों का अनुश्रवण प्रतिदिन संध्या में करेंगे एवं वार्त्ता, आदि से लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने की कार्रवाई मिशन मोड में प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,
6/2/25
(जय सिंह).
सचिव।

ज्ञापांकः–9/जमाबंदी डिजिटाईजेशन (Digitally Signed)–01/2021–388 (9)/रा०, पटना–15, दिनांक– 06.02.2025

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 6/2/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9/जमाबंदी डिजिटाईजेशन (Digitally Signed)–01/2021–388 (9)/रा०, पटना–15, दिनांक– 06.02.2025

प्रतिलिपिः–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/निदेशक, भू–अर्जन/निदेशक, चकबंदी/विभागीय सभी पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/2/25
(जय सिंह).
सचिव।

ज्ञापांकः–9/जमाबंदी डिजिटाईजेशन (Digitally Signed)–01/2021–388 (9)/रा०, पटना–15, दिनांक– 06.02.2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/2/25
(जय सिंह).
सचिव।